न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 125 / 2019 **दायरा दिनांक : 29.08.2019**

उनवान

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

2– माफी मन्दिर मुरलीमनोहर जी ग्राम माथनी, तहसील एवं जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजेन्द्र कुमार पुत्र जमना लाल, जाति ब्राहमण, निवासी माथना, तहसील बांरा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 00071 / 2020 **दायरा दिनांक : 25.08.2020**

उनवान

राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री जमना लाल, आयु 66 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी माथना, तहसील बांरा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

2– कृष्ण बिहारी आत्मज श्री जमना लाल, आयु 80 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी माथना, तहसील बांरा, जिला बारां

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित पैरोकार सरकार

श्री चन्द्रशेखर कक्कड़ अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 18.03.2021

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 162/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 125/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम माथनी तहसील बारां में आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 2.52 हेक्टर कुल रकबा 2.56 हेक्टर तथा ग्राम भडसुई में आराजी खसरा नम्बर 625 रकबा 1.26 हेक्टर भूमि स्थित है । विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 315 ग्राम माथनी, खाता संख्या 255 ग्राम भडसुई में मन्दिर देवमूर्ति अर्थात् माफी मूर्ति मन्दिर मुरली मनोहर जी बिराजमान बतौर खातेदार दर्ज है । मन्दिर देवमूर्ति शाश्वत अवयस्क है जिसकी खातेदारी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही मिल सकते हैं इसके अतिरिक्त राजस्व रेकार्ड में पुजारी या सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991, 24.05.2007, 25.11.2011, 12.09.2018 अवलोकनीय है । विवादित आराजी में मन्दिर देवमूर्ति के नाम साथ प्रतिवादी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जमनालाल, जाति ब्राहमण, निवासी माथनी का नाम बतौर पुरारी दर्ज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार के परिपत्रों की घोर उपेक्षा करके जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील संख्या 00070/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम माथनी तहसील बारां में आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 2.52 हेक्टर कुल रकबा 2.56 हेक्टर तथा ग्राम भडसुई में आराजी खसरा नम्बर 625 रकबा 1.26 हेक्टर भूमि स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजी जमना लाल पुत्र चन्दालाल, जाति ब्राहमण, निवासी माथनी के खाते, उपयोग व काश्त की रही है । जमना लाल का स्वर्गवास

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

35 वर्ष पूर्व हो चुकी है । जमना लाल की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी का खातेदार घोषित कराने का अपीलांट अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आरबीट्रेरी रूप से विधि विरूद्ध प्रकिया अपना कर राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मुरली मनोहर जी बिराजमान माथनी के नाम दर्ज कर दी जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों एवं रिकार्ड के पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं होने से संशोधित किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद प्रतिवादीगण द्वारा एडमिट किये जाने के उपरान्त भी एवं कोई आपत्ति नहीं किये जाने पर एवं खण्डन स्वरूप कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी वादी द्वारा वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदत्त न कर कानूनी भूल की है । उक्त वादग्रस्त आराजी जमना लाल पुत्र चन्दालाल, जाति ब्राहमण, निवासी माथनी के खाते, उपयोग व काश्त की रही है । जमना लाल का स्वर्गवास 1975 में हो गया है, उनके समय से तथा उनकी मृत्यु के बाद लगातार ओपन एण्ड होस्टाइल कब्जाधारी के रूप में बतौर मालिक स्वर्गीय जमना लाल की इच्छानुसार अपीलांट ही आराजी को काश्त करता चला आ रहा है । वादी को उक्त आराजी ओपर एण्ड होस्टाइल कब्जाधारी के रूप में काश्त करते 35 वर्ष से अधिक समय हो चुका है । इस कारण से वादग्रस्त आराजी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अपीलांट अधिकारी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 11.02.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील संख्या 00071 / 2020 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को नहीं दी थी जैसे ही अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई, जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर अपील संख्या 00071 / 2020 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपील संख्या 00071/2020 न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड तथा विवादित आराजी ग्राम माथनी व भडसुई मूर्ति मंदिर मुरली मनोहर जी बिराजमान माथनी के खाते दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत रेकार्ड के अनुसार उक्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 17.05.1965 को माफी रिज्यूम होने से जमना लाल ब्राहमण पुजारी होने से उनकी खातेदारी में दर्ज की गई थी तथा जमना लाल के बाद उक्त आराजी वादी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के खाते में दर्ज रही, किन्तु उक्त आराजी राज्य सरकार के आदेशानुसार वापस मूर्ति मंदिर मुरली मनोहर जी के खाते दर्ज रही है। देव मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है जिसकी खातेदारी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही मिल सकते हैं इसके अतिरिक्त राजस्व रेकार्ड में पुजारी या सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991, 24.05.2007, 25.11.2011, 12.09.2018 जारी किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 11.02.2019 से यह निर्णय पारित किया गया है कि उपरोक्त विवादित आराजी में मंदिर देव मूर्ति के नाम के साथ अपीलांट प्रतिवादी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जमनालाल, जाति ब्राहमण, निवासी माथनी का नाम बतौर पुजारी दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय राज्य सरकार के परिपत्रों की घोर उपेक्षा करके जारी किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपील संख्या 125/2019 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2019 अपास्त किये जाते हैं एवं अपील संख्या 00071/2020 बउनवान राजेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार खारिज की जाती है तथा विवादित आराजी ग्राम माथनी की खसरा नम्बर 162 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 2.52 हेक्टर कुल रकबा 2.56 हेक्टर तथा ग्राम भडसुई में आराजी

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

खसरा नम्बर 625 रकबा 1.26 हेक्टर भूमि मंदिर मुरली मनोहर जी बिराजमान ग्राम माथनी के साथ वादी अपीलांट का नाम हटाने का आदेश दिया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति मुरली मनोहर बिराजमान निवासी माथनी के नाम ही बतौर खातेदार रखने का आदेश दिया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★
सत्यमेव जयते

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

आज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 00071 / 2020

राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री जमना लाल, आयु 66 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी माथना, तहसील बांरा, जिला बारां .... **अपीलांट**	**बनाम**	1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां 2– कृष्ण बिहारी आत्मज श्री जमना लाल, आयु 80 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी माथना, तहसील बांरा, जिला बारां .... **रेस्पोंडेंट**

अपील नं 00071 / 2020 एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**

मु.द.नं0 162 / 2012 निर्णय व डिकी दिनांक – **11.02.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 03 माह **03** सन् **2021**

हाजरी श्री चन्द्रशेखर **कक्कड** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **पैरोकार सरकार** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोंडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील **अपीलांट खारिज की जाती है तथा विवादित आराजी ग्राम माथनी की खसरा नम्बर** 162 रकबा 0.04 हेक्टर, **खसरा नम्बर 165 रकबा 2.52 हेक्टर कुल रकबा 2.56 हेक्टर तथा ग्राम भडसुई में** आराजीखसरा नम्बर **625 रकबा 1.26 हेक्टर भूमि मंदिर मुरली मनोहर जी बिराजमान ग्राम माथनी के साथ** वादी अपीलांट **का नाम हटाने का आदेश दिया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति मुरली मनोहर** बिराजमान **निवासी माथनी के नाम ही बतौर खातेदार रखने का आदेश दिया जाता है ।**

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18** माह **03** सन् **2021** को जारी किया गया !

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)

मोहर